अध्याय XVII : सामान्य

17.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

लोक लेखा समिति के निरन्तर अनुदेशों/अनुशंसाओं के बावजूद विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने, लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित समय-सीमा बीतने के बाद भी 43 लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर उपचारी/शोधक कार्रवाई टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं की थी।

लोक सभा सचिवालय ने, सभी मंत्रालयों को, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सदन के पटल पर प्रस्तुत होने के तुरन्त पश्चात इनमें निहित विभिन्न पैराग्राफों पर उपचारी/की गई शोधक कार्रवाई दर्शाते हुए वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को टिप्पणियां भेजने के लिए अप्रैल 1982 में अनुदेश जारी किए।

संसद में, 22 अप्रैल 1997 को प्रस्तुत किए गए उनके नौवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) ने इच्छा व्यक्त की कि मार्च 1994 तथा 1995 को समाप्त वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित लम्बित कार्रवाई टिप्पणियों (का.टि.) का प्रस्तुतीकरण तीन महीनों की अवधि के भीतर पूर्ण किया जाना चाहिए तथा यह अनुशंसा की कि मार्च 1996 को समाप्त वर्ष तथा इसके बाद के वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित सभी पैराग्राफों पर का.टि., संसद में प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण से चार माह के भीतर लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत रूप से जांच करके उनको प्रस्तुत की जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, 29 अप्रैल 2010 में संसद को प्रस्तुत उनके ग्यारहवें प्रतिवेदन (पन्द्रहवीं लोक सभा) में समिति ने अनुशंसा की कि उपचारी कार्रवाई करने तथा लो.ले.स. को का.टि. प्रस्तुत करने में असामान्य विलम्बों के सभी मामलों में व्यक्तिगत रूप से मुख्य लेखांकन प्राधिकारियों को उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए।

समिति ने यह भी इच्छा की कि का.टि. के प्रस्तुतीकरण में विलम्बों से संबंधित मामलों को आवधिक रूप से, ज्यादातर तिमाही अंतराल पर सचिव समिति (स.स.) के समक्ष लाया जाना चाहिए ताकि सभी चूककर्ता मंत्रालयों/विभागों द्वारा का.टि. के प्रस्तुतीकरण पर कार्रवाही की जाए।

उनकी अनुशंसाओं के अनुसरण में, स.स. द्वारा कैबिनेट सचिवालय में कई बैठकें की गई थीं जिनमें निम्नलिखित निर्णय लिए गए थेः

(i) मंत्रालयों/विभागों में सचिव, जो मुख्य लेखांकन अधिकारी है, निर्धारित समय सीमा के भीतर लेखापरीक्षा पैराओं/लो.ले.स. प्रतिवेदनों पर का.टि./का.रि. को अंतिम रूप देना सुनिश्चित करने हेतु व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

(ii) उपयुक्त शोधक उपाय करने के अतिरिक्त नि.म.ले.प. के प्रतिवेदनों के पैराओं पर का.टि. तथा लो.ले.स. की अनुशसाओं पर का.रि. के प्रस्तुतीकरण की मॉनीटरिंग हेतु प्रत्येक मंत्रालय द्वारा वित्तीय सलाहकार सहित सचिव/विशेष सचिव द्वारा अध्यक्षता वाली स्थायी लेखापरीक्षा समिति (स्था.ले.प.स.) स्थापित की जाएगी। स्थ.ले.प.स. मासिक आधार पर बैठक करेगी तथा इसके कार्य क्षेत्र (का.क्षे.) में लेखापरीक्षा पैराओं/लो.ले.स. के प्रतिवेदनों में इंगित अनियमितताओं के आवर्तन से बचने हेतु, लिए जाने वाली निवारक कार्रवाई शामिल होगी।

(iii) का.टि. के तीव्र प्रस्तुतीकरण हेतु का.टि. अदालतों/कार्यशालाओं का नियमित आयोजन किया जाना चाहिए।

अपनी बैठक में स.स. ने पाया कि लगभग सभी मंत्रालयों/विभागों ने पहले ही स्था.ले.प.स. स्थापित कर ली थी तथा शेष स्था.ले.प.स. को स्थापित करने की प्रक्रिया में थे। स.स. ने आगे पाया कि का.टि. अदालतों/कार्यशालाओं के संबंध में प्रगति धीमी थी। स.स. ने निर्देश दिया कि सभी मंत्रालय का.टि. की विलंबता का निपटान करने हेतु विशेष अभियान प्रारम्भ करें।

31 मार्च 2012 को (**परिशिष्ट-I**) समाप्त अवधि तक संघ सरकार (सिविल) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल पैराग्राफों पर का.टि. की प्राप्ति की स्थिति के पुनरीक्षण से प्रकट हुआ कि उपर्युक्त अनुदेशों के बावजूद मंत्रालयों ने बड़ी संख्या में पैराग्राफों के संबंध में उपचारी/शोधक का.टि. प्रस्तुत नहीं की थी। 107 पैराग्राफों, जिन पर का.टि. भेजनी अपेक्षित थी, में से 43 पैराग्राफों के संबंध में मार्च 2013 तक बिल्कुल भी का.टि. प्राप्त नहीं हुई थी। विवरण निम्नलिखित चार्ट में दर्शाए गए हैं:

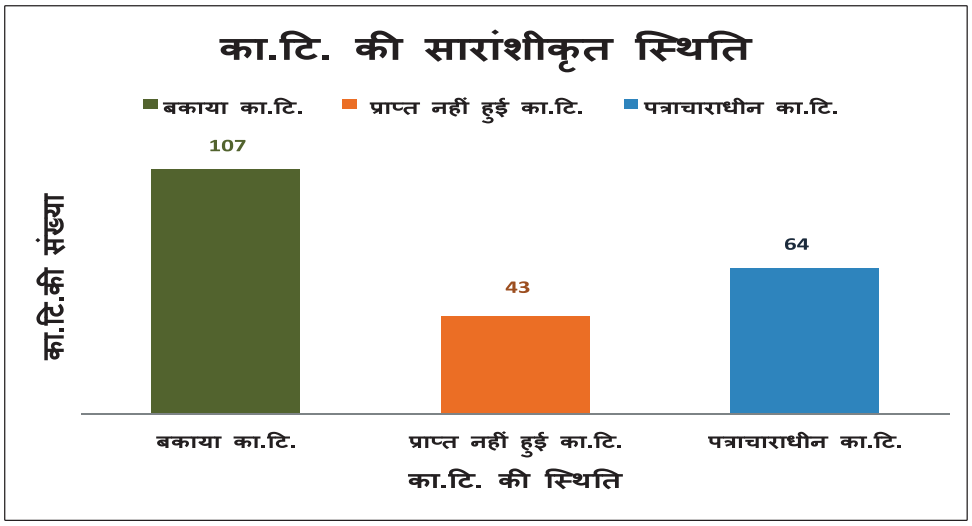

64 पैराग्राफ, जो पत्राचाराधीन थे, के संबंध में अंतिम का.टि. विभिन्न स्तरों पर लम्बित थी। इन 107 पैराग्राफों में से 11 पैराग्राफ, ऐसे लेखापरीक्षा प्रतिवेदना से संबंधित थे जो 10 वर्षों से अधिक पुराने थे ।

17.2 ड्राफ्ट पैराग्राफों के प्रति मंत्रालयों/विभागों के प्रत्युत्तर

लोक लेखा समिति के कहने पर जारी वित्त मंत्रालय के निर्देशों के बावजूद, मंत्रालयों/विभागों के सचिवों ने इस प्रतिवेदन में शामिल 33 ड्राफ्ट पैराग्राफों में से 18 के प्रत्युत्तर नहीं भेजे थे।

लो.ले.स. की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय ने जून 1960 में सभी मंत्रालयों को, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में शामिल करने के लिए प्रस्तावित ड्राफ्ट पैराग्राफों के प्रत्युत्तर, पैराग्राफ की प्राप्ति के छः सप्ताह के भीतर भेजने के निर्देश जारी किए थे।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के इस प्रतिवेदन में शामिल 33 पैराग्राफों में से 18 में, मंत्रालयों/विभागों के सचिवों से उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे। ब्यौरे **परिशिष्ट- II** में दर्शाए गए हैं।

नई दिल्ली
दिनांक: 19 अगस्त 2013

(रॉय मथरानी)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय व्यय

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 20 अगस्त 2013

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक